भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1461
09 दिसम्बर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: औषधीय पौधों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की योजनाएँ

1461. श्री ए. राजाः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किसानों को औषधीय/हर्बल पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पाँच वर्षों के दौरान तमिलनाडु सहित देश में इन योजनाओं के अंतर्गत की गई गतिविधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले पाँच वर्षों में देशभर के विभिन्न संगठनों को औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत समर्थित परियोजनाओं का उनके प्रभाव सहित ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य देश में फल, सब्जियां, कंद-मूल फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित और औषधीय पौधे, नारियल, काजू, कोको और बांस को कवर करते हुए समग्र बागवानी क्षेत्र का विकास करना है। तमिलनाडु सहित सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एमआईडीएच के अंतर्गत आते हैं।

एमआईडीएच योजना के अंतर्गत, अल्पावधि औषधीय पौधों अर्थात गैर-बारहमासी प्रकृति और गैर-वृक्ष प्रजातियों के क्षेत्र विस्तार के लिए 1.5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की अधिकतम लागत के 40% की दर से सहायता प्रदान की जा रही है और पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों, टीएसपी (जनजातीय उपयोजना) क्षेत्रों, जीवंत गांवों, अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपसमूह सहित अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में, प्रति लाभार्थी 2 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत के 50% की दर से सहायता प्रदान की गई है।

उपरोक्त के अलावा, आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) ने देश में औषधीय पौधों की खेती, उत्पादन को बढ़ावा देने, फ़ासलोपरांत प्रबंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने

और विपणन हेतु "प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना" नामक एक ड्राफ्ट योजना तैयार की है। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु सहित पूरे देश में "औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन" पर एनएमपीबी केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों के लिए परियोजना-आधारित सहायता प्रदान करना है। औषधीय पौधों की आपूर्ति श्रृंखला में अग्र और पश्च लिंकेज (एकीकृत घटक) सीएसएस योजना के घटकों में से एक है जिसमें निम्नलिखित गतिविधियों का सहायता दी जाती है:

- खेती के लिए औषधीय पौधों की रोपण सामग्री जुटाने हेतु गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर।
- किसानों को जागरूक करने के लिए सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) गतिविधियाँ।
- औषधीय पौधों की विपणन क्षमता बढ़ाने, उपज का मूल्यवर्धन करने, लाभप्रदता बढ़ाने और हानि कम करने के लिए फसलोपरांत प्रबंधन और विपणन हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर।
- कच्चे माल का गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) आयुष मंत्रालय देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित अपने क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्रों (आरसीएफसी) के माध्यम से किसानों/संग्राहकों को अच्छी कृषि पद्धतियों (जीएपी), अच्छी फील्ड संग्रहण पद्धतियों (जीएफसीपी) के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है और देश के विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में औषधीय/हर्बल पौधों की खेती के लिए गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (क्यूपीएम) भी प्रदान कर रहा है।

(ग): एनएमपीबी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन से, जमीनी स्तर के लोगों के सामाजिक-आर्थिक स्तर के संरक्षण, सतत दोहन और सुधार में समुदाय-आधारित संगठनों (सीबीओ) की भागीदारी सुनिश्चित होती है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान देश भर में विभिन्न संगठनों को औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत समर्थित/स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं	**श्रेणी का नाम**	**स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या**
1	संरक्षण, संसाधन संवर्धन, जेएफएमसी को सहायता आदि।	18
2	अनुसंधान एवं विकास	60
3	एकीकृत घटक	9
4	हर्बल गार्डन	172
5	विपणन	2
6	सूचना शिक्षा संचार	157
	कुल	**418**

*****